पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं0 — 138/2024

1. कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवंशी निवासी मानकटिबी तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम

2 तहसीलदार राजस्व टिबी ।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रूपराम कासनिया व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं0 5 केएचआर. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 262/237 में दर्ज वादी का नाम बालूराम तथा चकनं0 5 के एचआर के खाता सं0 99/61 में दर्ज वादी का नाम बाबूराम व चक 2 सीडीआर के खाता स0 104/97 दर्ज आराजी में बाबूराम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम कृष्णलाल किये जाने के आदेश दिए जाते है। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।